झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–10/2026–1166 **व०प०, राँची, दिनांक–24/3/26**

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002

विषय :– **झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत सिमडेगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 132/के०भी० डी०सी० कोलेबिरा –सिमडेगा T/L निर्माण हेतु कुल–22.6036 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँचीं के पत्रांक–56 दिनांक–30.01.2026 एवं पत्रांक–98 दिनांक–10.02.2026 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 22.6036 हे0 वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करनी होगी।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु नियमानुसार ससमय सभी कार्रवाई प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

(iv) प्रस्तावित वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(v) वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/नोडल पदाधिकारी/PSC-II द्वारा की गई अनुशंसा/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vi) CWLW द्वारा प्रस्तावित शर्त/शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vii) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) F.C. Act, 1980 तथा इसके तहत् निर्गत दिशा–निदेशों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ix) अन्य सामान्य, मानक एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(चन्द्रशेखर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–10/2026–1166 व०प०, राँची, दिनांक–24/3/26

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–10/2026–1166 व०प०, राँची, दिनांक–24/3/26

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप महाप्रबंधक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण अंचल, कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Email-Id:- forestjhr@gmail.com